CENTRE for e-GOVERNANCE U.P.

1st Floor, UPTRON Building, Near Gomti Barrage, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010

सेण्टर फॉर ई–गवर्नेन्स, उत्तर प्रदेश (उ.प्र. सरकार की समिति)

प्रथम तल, अपट्रॉन बिल्डिंग, निकट गोमती बैराज, गोमती नगर, लखनऊ – 226 010

फोन/फैक्स : 0522–2304706, वेबसाइट : www.upite.gov.in/ceg ई–मेल : ceglko.up@gmail.com

Ref No. : CEG/P/3/II/71/20

Date 09-07-2020

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष डी.ई.जी.एस.सोसाइटी,
समस्त जनपद, उ0प्र0।

विषयः जनसेवा केन्द्र योजनान्तर्गत जनपदों में संचालित हो रहे लोकवाणी केन्द्रों की नयी डी.एस.पी. व्यवस्था में समाहित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक सी.ई.जी. कार्यालय के पत्रांक–सी.ई.जी./जी/34/ 15/ ।/544 /17, दिनांक 13.10.2017 का शासनादेश संख्या– 11/2016/11/ 78–2– 2016– 34आई.टी. /2010, दिनांक 04.02.2016 तथा शासन स्तर पर सम्पन्न बैठक दिनांक 11.02.2016 के कार्यवृत्त पत्र संख्या–397/ 78–2–2016–34आई.टी./2010, दिनांक 26 फरवरी, 2016 द्वारा जारी (समस्त जनपदों एवं डी.एस.पी. संस्थाओं को शासन द्वारा पृष्ठांकित) **(छायाप्रति संलग्नकों सहित संलग्न)** के साथ सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में ज्ञातव्य है कि वर्तमान व्यवस्था निविदा के माध्यम से स्थापित होने के समय से ही लोकवाणी केन्द्रों को तत्काल जनपद में डी.ई.जी.एस. सोसाइटी के साथ अनुबन्धित डी.एस.पी. संस्था अन्तर्गत नियमित कराये जाने हेतु दिशा–निर्देश शासन द्वारा निर्गत किये गये हैं। सी.ई.जी. कार्यालय द्वारा भी उपरोक्त पत्र दिनांक 13.10.2017 के साथ उपरोक्त शासनादेश दिनांक 04.02.2016 एवं उपरोक्त बैठक दिनांक 11.02.2016 के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर शासन के निर्देश के अनुपालन हेतु समस्त डी.ई.जी.एस. सोसाइटी से अनुरोध किया गया है।

अतः उपरोक्त के प्रकाश में अनुरोध है कि जनपद के समस्त लोकवाणी केन्द्रों को जनपद में कार्यरत डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर संस्था अन्तर्गत उपरोक्त शासनादेश दिनांक 04.02.2016 एवं उपरोक्त बैठक दिनांक 11.02.2016 के कार्यवृत्त के अनुपालन में नियमित करा लिया गया है, का उल्लेख करते हुये अनुपालन आख्या इस पत्र के प्रत्युत्तर पत्र के साथ **ई–मेल : ceglko.up@gmail.com** पर तत्काल प्रेषित करने हेतु डी.ई.जी.एस. के नोडल अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

09/07/2020

(ऋषिरेन्द्र कुमार)
राज्य समन्वयक

संलग्नक–यथोक्त।

CENTRE for e-GOVERNANCE U.P.
1st Floor, UPTRON Building, Near Gomti Barrage, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
सेण्टर फॉर ई–गवर्नेन्स, उत्तर प्रदेश (उ.प्र. सरकार की समिति)
प्रथम तल, अपट्रॉन बिल्डिंग, निकट गोमती बैराज, गोमती नगर, लखनऊ –226010
फोन/फैक्स : 0522–2304706, ई–मेल : ceglko.up@gmail.com

जारी
13/10/17

सन्दर्भ संख्या: CEG/G/34/15/I/544/17
दिनांक: 13-10-17

शीर्ष प्राथमिकता

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष डी.ई.जी.एस.सोसाइटी,
समस्त जनपद, उ0प्र0।

विषयः जनसेवा केन्द्र योजनान्तर्गत जनपदों में संचालित हो रहे लोकवाणी केन्द्रों की नयी डी. एस.पी. व्यवस्था में समाहित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय कि ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अनुरोध है कि ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लोकवाणी केन्द्रों के सम्बन्ध में संलग्न अद्यतन रिपोर्ट दिनांक 10.07. 2017 का सम्बन्धित शासनादेश संख्या–11/2016/11/78–2–2016–34आई.टी./2010, दिनांक 04.02.2016 एवं शासन के पत्र संख्या–397/78–2–2016–34आई.टी./2010, दिनांक 26 फरवरी, 2016 के आलोक में सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

(क) इस सम्बन्ध में उपरोक्त शासनादेश दिनांक 04.02.2016 के प्रस्तर–5 जिसका पाठ निम्नवत हैः–

"उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया है कि शहरी क्षेत्र में डी.ई.जी.एस. के अन्तर्गत आने वाले केन्द्र जिनके माध्यम से वर्तमान में शासकीय सेवायें उपलब्ध करायी जा रही हैं, उनका संचालन पूर्व में किये गये अनुबन्ध की अवधि समाप्ति के उपरान्त डी.एस.पी. के माध्यम से कराया जायेगा तथा तब तक प्रत्येक शासकीय सेवाओं से प्राप्त होने वाले यूजर चार्जेज का अंश विभाजन विभिन्न स्टेक होलडर्स के मध्य पूर्ववत रहेगा। भविष्य में शहरी क्षेत्रों में स्थापित होने वाले केन्द्रों पर शासकीय सेवाओं से प्राप्त होने वाले यूजर चार्जेज का अंश विभाजन नई व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा।"

(ख) इस सम्बन्ध में संलग्न बैठक दिनांक 11.02.2016 के बिन्दु–1 जिसका पाठ निम्नवत हैः–

"जनपद की डी.ई.जी.एस. सोसाइटी द्वारा 01 सप्ताह के अन्दर संचालित लोकवाणी केन्द्रों की सूचना उनके जनपद में चयनित डी.एस.पी. संस्था को तत्काल उपलब्ध करा दी जाये, जिससे उन्हें एकरूपता के साथ नयी डी.एस.पी. के अधीन जन सेवा केन्द्र के रूप में नियमित हो सके।"

उक्त के क्रम में जैसाकि विदित है कि जनपदवार चयनित डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर (डी.एस.पी.) संस्थाओं का जनपद की डी.ई.जी.एस. सोसाइटी के साथ आवश्यक धनराशि की परफार्मेन्स बैंक गारण्टी (पी.बी.जी.) उपलब्ध कराते हुए अनुबन्ध हस्ताक्षरित है।

क्रमशः - 2

O/C

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त (क) शासनादेश दिनांक 04.02.2016 एवं (ख) बैठक दिनांक 11.02.2016 के प्रकाश में ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर उपलब्ध संलग्न अद्यतन रिपोर्ट दिनांक 10.07.2017 का संज्ञान लेने का कष्ट करें एवं तद्नुसार आपके जनपद में कार्यरत समस्त लोकवाणी केन्द्रों को तत्काल नयी डी.एस.पी. व्यवस्था में नियमित करने हेतु डी.ई.जी. एस. के नोडल अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक–यथोक्त।

(जी.एस. नवीन कुमार)
राज्य समन्वयक

o/c

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव महोदय, आई.टी. एवं इले0 विभाग, उ0प्र0 शासन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मै0 श्रेयी इन्फास्ट्रक्चर फाइनेन्स लि0।
3. मै0 सी.एम.एस. कम्प्यूटर्स लि0।
4. मै0 वयम टेक्नोलॉजीज लि0।
5. मै0 आई.ए.पी. कम्पनी प्रा0 लि0, मै0 एस.आर.एम. शॉल्यूशन लि0, मै0 के0 एण्ड डी0, मै0 नेक्टॉन एवं मै0 जे0आर0एस0 ट्रांसपोर्ट।
6. हेड, एस.ई.एम.टी., उ0प्र0।

(जी.एस. नवीन कुमार)
राज्य समन्वयक

o/c

संख्या-11/2016/11/78-2-2016-34आई.टी./2010

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव/सचिव,
राजस्व/पंचायतीराज/विकलांग कल्याण/समाज कल्याण/महिला एवं बाल विकास/
श्रम/खाद्य एवं रसद/नगर विकास/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 04 फरवरी, 2016

विषयः- जन सेवा केन्द्रों द्वारा ई-डिलीवरी के माध्यम से आम नागरिकों को प्रदान की जा रही शासकीय सेवाओं हेतु लिये जा रहे यूज़र चार्ज़ेज में से डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर (डी.एस.पी.) के अंश के पुनर्विभाजन एवं वितरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत ही है कि शासन द्वारा उच्चतम स्तर पर निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों में जन सेवा केन्द्रों की स्थापना की जायें ताकि आम जनमानस को उनके द्वार के समीप समस्त शासकीय सेवायें उपलब्ध करायी जा सकें। उक्त के क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर (डी.एस.पी.) के माध्यम से दिनांक 31.03.2016 तक प्रदेश की प्रत्येक दो ग्राम पंचायतों में एक जन सेवा केन्द्र स्थापित किये जाने का लक्ष्य है तथा उसके उपरान्त दिनांक 31.12.2016 तक प्रदेश के हर 1 ग्राम पंचायत में कम से कम 1 जन सेवा केन्द्र को स्थापित किया जाना है। उक्त के क्रम में डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर (डी.एस.पी.) के रूप में चयनित संस्थाओं द्वारा प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण अंचलों में जन सेवा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।

2. अवगत कराना है कि खुली निविदा के माध्यम से डी.एस.पी. के रूप में 06 संस्थाओं का चयन किया गया जिनमें क्रमशः 21 जनपद मै0 श्रेयी सहज ई-विलेज लि0, 21 जनपद मै0 सी.एम.एस. कम्प्यूटर्स लि0, 20 जनपद मै0 वयम टैक्नोलॉजी लि0, 4 जनपद मै0 आई.ए.पी. कम्पनी प्रा0 लि0, 3 जनपद मै0 एस.आर.एम. इन्जिनियरिंग साल्यूशन्स तथा 1 जनपद मै0 के. एण्ड डी. इन्जिनियर्स एण्ड कन्सल्टेन्ट्स को प्राप्त हुये है। इसके अतिरिक्त शेष 5 जनपदों में जन सेवा केन्द्रों का संचालन आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के अधीन संस्था ई-सुविधा द्वारा किया जायेगा। प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में चयनित 6 संस्थाओं तथा ई-सुविधा को आवण्टित जिलों की सूची **संलग्नक-1** के रूप में संलग्न है।

3. आई. टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा शासनादेश सं0-1527/78-2-2013-53 आईटी/2012

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

shasanadesh.up.nic.in

दिनांक 20.02.2013 के माध्यम से पूर्व में प्रत्येक शासकीय सेवाओं हेतु यूज़र चार्ज़ेज तथा विभिन्न स्टेक होल्डर्स के मध्य अंश विभाजन निम्न तालिकानुसार किया गया था:-

क्र0 सं0	सेवा	एस.सी.ए./केन्द्र संचालक	यूज़र चार्ज का अंश (`)		सी.ई.जी.	कुल यूज़र चार्ज (`)
			सम्बन्धित विभाग	डी.ई.जी.एस./ लोकवाणी सोसाईटी		
1.	राजस्व विभाग की खतौनी सेवा को छोड़कर शेष दी जा रही शासकीय सेवायें	10	5	3	2	20
2.	राजस्व विभाग की खतौनी सेवा	15	10	3	2	30

4. उक्त तालिका में नई व्यवस्था में डी.एस.पी. चयन हेतु निविदाओं में प्राप्त डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेन्स सोसाईटी (डी.ई.जी.एस.), डी.एस.पी. एवं केन्द्र संचालक के अंश में प्रत्येक शासकीय सेवाओं हेतु निम्न संशोधन किया जाता है:-

क्र0 सं0	सेवा	एस.सी.ए./ केन्द्र संचालक	यूज़र चार्ज का अंश (`)		सी.ई.जी.	कुल यूज़र चार्ज (`)
			सम्बन्धित विभाग	डी.ई.जी.एस./ लोकवाणी सोसाईटी		
1.	राजस्व विभाग की खतौनी सेवा को छोड़कर शेष दी जा रही शासकीय सेवायें **(जनपद बांदा को छोड़कर)**	6	5	7	2	20
2.	राजस्व विभाग की खतौनी सेवा **(जनपद बांदा को छोड़कर)**	11	10	7	2	30
3.	राजस्व विभाग की खतौनी सेवा को छोड़कर शेष दी जा रही शासकीय सेवायें **(जनपद बांदा हेतु)**	7	5	6	2	20
4.	राजस्व विभाग की खतौनी सेवा **(जनपद बांदा हेतु)**	12	10	6	2	30

5. उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया है कि शहरी क्षेत्र में डी.ई.जी.एस. के अन्तर्गत आने वाले केन्द्र जिनके माध्यम से वर्तमान में शासकीय सेवायें उपलब्ध करायी जा रही है, उनका संचालन पूर्व में किये गये अनुबन्ध की अवधि समाप्ति के उपरान्त डी.एस.पी. के माध्यम से कराया जायेगा तथा तब

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

तक प्रत्येक शासकीय सेवाओं से प्राप्त होने वाले यूज़र चार्ज़ेज का अंश विभाजन विभिन्न स्टेक होल्डर्स के मध्य पूर्ववत रहेगा। भविष्य में शहरी क्षेत्रों में स्थापित होने वाले केन्द्रों पर शासकीय सेवाओं से प्राप्त होने वाले यूज़र चार्ज़ेज का अंश विभाजन नई व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा।

6. उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नई व्यवस्था के अन्तर्गत जन सेवा केन्द्रों तथा ई-सुविधा केन्द्रों (लखनऊ को छोड़कर) के माध्यम से आम नागरिकों को प्रदान की जा रही शासकीय सेवाओं हेतु नवीन अंश विभाजन उपरोक्त तालिका के अनुसार दिनांक 01 जनवरी, 2016 से प्रभावी होंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त भविष्य में यदि किसी अन्य संस्था द्वारा जनपद स्तर पर शासकीय सेवाओं को प्रदान किये जाने हेतु यदि शासन की अनुमति से समान शर्तों पर केन्द्रों की स्थापना की जाती है तो उपरोक्त तालिका के अनुसार अंश विभाजन नई संस्थाओं पर भी लागू होगा।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव

संख्या: 11/2016/11(1)/78-2-2016 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, उ0प्र0।
2. राज्य समन्वयक, ई-सुविधा, गोमती नगर, लखनऊ।
3. एस.आई.ओ., एन.आई.सी., उ0प्र0, लखनऊ।
4. हेड, एस0ई0एम0टी0, उ0प्र0।
5. मै0 श्रेयी सहज ई-विलेज लि0।
6. मै0 सी.एम.एस. कम्प्यूटर्स लि0।
7. मै0 वयम टेक्नोलॉजी लि0।
8. मै0 आई.ए.पी. कम्पनी प्रा0 लि0।
9. मै0 एस.आर.एम. इन्जीनियरिंग साल्यूशन्स।
10. मै0 के. एण्ड डी. इन्जीनियर्स एण्ड कन्सल्टेन्ट्स।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

विशेष सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन महोदय की अध्यक्षता में जन सेवा केन्द्र परियोजना अन्तर्गत जनपदवार चयनित डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर (डी.एस.पी.) द्वारा स्थापित केन्द्रों की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में दिनांक 11.02.2016 पूर्वान्ह 11:30 बजे से मुख्य भवन, कक्ष सं0–80 में सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति: संलग्नानुसार।

जन सेवा केन्द्र परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2016 के अन्त तक प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यूनतम 1 जन सेवा केन्द्र स्थापित किया जाना शासन की शीर्ष प्राथमिकता में शामिल है, जनपदवार चयनित डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर (डी.एस.पी.) द्वारा स्थापित केन्द्रों की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में उपरोक्त डी.एस.पी. संस्थाओं द्वारा दिनांक 01.01.2016 से तद्दिनांक तक जन सेवा केन्द्र खोले जाने के कार्य की धीमी प्रगति होने तथा विगत् 2 माह में आ रही समस्याओं/शिकायतों के सम्बन्ध में व्यापक चर्चा की गयी, उल्लेखनीय है कि नवचयनित डी.एस.पी. संस्थाओं का जनपदवार स्थापित डी.ई.जी.एस. सोसाइटी के मध्य अनुबन्ध/एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित हुआ है/हो रहा है, अतः जनपद की डी.ई.जी.एस. सोसाइटी को डी.एस.पी. संस्था द्वारा एम.ओ.यू. की शर्तों के अधीन सतोषजनक कार्य नहीं करने की दशा में जनपद की डी.ई.जी.एस. सोसाइटी को सम्बन्धित डी.एस.पी. की बैंक गारण्टी जब्त करने, अनुबन्ध समाप्त करने सहित पूर्ण कार्यवाही/निर्णय लेने का अधिकार है। अतः जनपद स्तर पर जन सेवा केन्द्रों की स्थापना के कार्य की नियमित रूप से सघन समीक्षा एवं परियोजना के प्रभावी अनुश्रवण हेतु प्रत्येक माह डी.ई.जी.एस. सोसाइटी द्वारा समीक्षा बैठक की जानी चाहिये एवं समीक्षा में मुख्यतः निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार/चर्चा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया:–

i. जनपद की डी.ई.जी.एस. सोसाइटी द्वारा एक सप्ताह के अन्दर संचालित लोकवाणी केन्द्रों की सूचना, उनके जनपद में चयनित डी.एस.पी. संस्था को तत्काल उपलब्ध करा दी जाये जिससे उन्हें एकरूपता के साथ नये डी.एस.पी. के अधीन जन सेवा केन्द्र के रूप में नियमित हो सके।

ii. जनपद की डी.ई.जी.एस. सोसाइटी एव डी.एस.पी. संस्था के मध्य अनुबन्ध हस्ताक्षर की प्रकिया यथा शीघ्र पूर्ण करते हुये अधिक से अधिक जन सेवा केन्द्रों को खुलवाने हेतु नियमित रूप से डी.एस.पी. संस्था के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा की जाये, जिसमें ई–डिस्ट्रिक्ट मैनेजर द्वारा समन्वय हेतु मुख्य भूमिका निभाई जानी चाहिये।

iii. डी.ई.जी.एस. सोसाइटी द्वारा डी.एस.पी. संस्था को ई–गवर्नेन्स सेल या कलेक्ट्रेट में बैठने हेतु व्यवस्था करायी जाये, जिससे जनपद में चयनित डी.एस.पी. संस्थाओं द्वारा जनपद की डी.ई.जी.एस. सोसाइटी के साथ जन सेवा केन्द्रों को खोलने क कार्य में दिन–प्रतिदिन आ रही समस्याओं से सुगमतापूर्वक अवगत कराया जाना सुनिश्चित हो सके एव जनपद की डी ई.जी.एस. सोसाइटी द्वारा त्वरित निराकरण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया जा सके।

iv. डी.ई.जी.एस. सोसाइटी की समीक्षा बैठक में डी.एस.पी. एवं वी.एल.ई. के मध्य उत्पन्न होने वाली समस्याओं एवं जनपद के जन सेवा केन्द्र संचालकों की कठिनाइयों/शिकायतों का जनपद स्तर पर हस्ताक्षरित अनुबन्ध/एम.ओ.यू. की शर्तों के आधीन समाधान किया जाना चाहिये।

v. जनपद की डी.ई.जी.एस. सोसाइटी द्वारा निगरानी की जानी चाहिये कि जन सेवा केन्द्रों द्वारा निर्धारित यूज़र चार्ज़ेज से अधिक शुल्क आम जनमानस से नही लिया जाये।

vi. सभी डी.एस.पी. संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि दिनांक 01.01.2016 के पूर्व से कार्यरत/संचालित जन सेवा केन्द्रों एवं लोकवाणी केन्द्र से किसी प्रकार का नवीनीकरण शुल्क इत्यादि नही लिया जायेगा एवं नये जन सेवा केन्द्रों के सम्बन्ध में जनपद की डी.ई. जी.एस. सोसाइटी के साथ समन्वय स्थापित करते हुए न्यायोचित धनराशि नवीनीकरण शुल्क इत्यादि के सम्बन्ध में जनपद की डी.ई.जी.एस. सोसाइटी की सहमति से ही लिया जाये।

vii. डी.एस.पी. संस्था द्वारा जी2सी सेवाओं के सम्बन्ध में अपने से सम्बन्धित वी.एल.ई. का आई. डी. बी2सी सेवाओं जैसे–बीमा इत्यादि के लक्ष्य/टारगेट वी.एल.ई. द्वारा पूर्ण नही होने अथवा बी2सी सेवाओं के सम्बन्ध में उनके अन्य किसी विवाद इत्यादि होने पर किसी भी दशा में शासकीय सेवाओं हेतु जी2सी सेवाओं हेतु यूजर आई.डी. बन्द नही की जाये एव वी. एल.ई. को बी2सी सेवाओं हेतु किसी प्रकार से बाध्य न किया जाय, जिस पर जनपद की डी.ई.जी.एस. सोसाइटी द्वारा निगरानी की जाये।

viii. डी.एस.पी. संस्थायें उनके अधीन वी.एल.ई. के साथ सर्विस लेवल एग्रीमेन्ट की प्रति जनपद की डी.ई.जी.एस. सोसाइटी को उपलब्ध करायें।

ix. डी.एस.पी. संस्थायें यह सुनिश्चित कर लें कि किसी वी.एल.ई. का दिनांक 01.01.2016 से पूर्व की कोई धनराशि यदि उनके वॉलेट में है तो तत्काल समायोजन सुनिश्चित करते हुए जनपद की डी.ई.जी.एस. सोसाइटी को अवगत करायें।

x. डी.एस.पी. संस्थाओं द्वारा उनके अधीन कार्यरत जन सेवा केन्द्र संचालकों की अद्यतन स्थिति से प्रत्येक माह जनपद की डी.ई.जी.एस. सोसाइटी को शीर्ष प्राथमिकता पर सूचित किया जाये।

xi. डी.एस.पी. संस्थायें अपने पोर्टल पर जनपद की डी.ई.जी.एस. सोसाइटी को रियल टाईम बेसिस पर संचालित जन सेवा केन्द्रों/सर्विस सेन्टर ओनर की गैर वित्तीय सूचनाये देखने की व्यवस्था जनपद की डी.ई.जी.एस. सोसाइटी के साथ चर्चा कर सुनिश्चित करायें।

xii. डी.एस.पी. संस्था द्वारा जनपद में स्थापित उनके कार्यालय का पता पिन कोड सहित एवं कार्यरत कर्मचारियों का नाम, पदनाम, मोबाइल नं0 इत्यादि का विवरण जनपद की डी.ई.जी. एस. सोसाइटी को उपलब्ध कराया जाये।

xiii. चर्चा में यह बिन्दु प्रकाश में आया कि जन सेवा केन्द्र संचालकों द्वारा फ्लैक्स इत्यादि के आसानी से बदले जाने वाले अस्थायी बोर्ड लगाये जाते है जिस पर निर्देशित किया गया कि जन सेवा केन्द्रों पर पेन्टेड बोर्ड ही लगाये जाये एवं बोर्ड पर जनपद की डी.ई.जी.एस. सोसाइटी का नाम, यूज़र चार्ज़ेज की धनराशि का सेवावार स्पष्ट उल्लेख इत्यादि जनपद की डी.ई.जी.एस. सोसाइटी की सहमति अनुसार किया जाये।

जन सेवा केन्द्र परियोजना अन्तर्गत जनपदवार डी.ई.जी.एस. सोसाइटी की डी.एस.पी. सस्था के साथ समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त, जनपद में स्थापित एवं संचालित जन सेवा केन्द्रों की अद्यतन संख्या एवं डी.ई.जी.एस. सोसाइटी द्वारा जनपद में आ रही समस्याओ के सापेक्ष लिये गये निर्णयों के विवरण

इत्यादि सहित कार्यवृत्त की प्रति प्रत्येक माह की 27 तारीख तक सी.ई.जी. कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

अन्त में बैठक धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुयी।

भूपेन्द्र एस0 चौधरी
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–2
सँख्याः 397 /78–2–2016–34आई.टी./2010
लखनऊः दिनॉकः 26 फरवरी, 2016

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट ई–गवर्नेन्स सोसाइटी समस्त जनपद, उ0प्र0।
2. राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई–गवर्नेन्स, उ0प्र0।
3. राज्य समन्वयक, ई–सुविधा, गोमती नगर, लखनऊ।
4. मै0 श्रेयी इन्फ्रास्टक्चर फाइनेन्स लि0।
5. मै0 सी.एस.एस. कम्प्यूटर्स लि0।
6. मै0 वयम टेक्नोलॉजीज लि0।
7. मै0 आई.ए.पी. कम्पनी प्रा0 लि0।
8. मै0 एस.आर.एम. इन्जीनियरिंग साल्यूशन्स।
9. मै0 के. एण्ड डी. इन्जीनियर्स एण्ड कन्सलटेन्ट्स।
10. हेड, एस.ई.एम.टी., उ0प्र0।
11. गार्ड फाइल।

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
अनु सचिव